

व्यापिक कार्ड का स्वीकार रखने से पत्रावली दिनांक 28/5 को भेजें।

पत्रावली पेश हुई, अभिलेखांकन द्वारा व्यापिक कार्ड स्वीकार रखने से पत्रावली दिनांक 6/6 को भेजें।

6/6 पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथीगण उपाध्यत, विपक्षीगण के सम्मन खास शामिल होकर जलत हुए जिसे शापक किये जाये। विपक्षीगण का कितनी मुर्का भक-भक कर भावाजे दिलायी जाने के बाद भी उपाध्यत नहीं। इसके बिकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का शोडेश दिया जाता है वकील प्राथीगण का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिख जाकर शापक दिया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांडल जिला भीलवाड़ा



श्री आंगप्रकाश श्री भवराज बाबाजी निवासी - बालानगर तहसील-गाण्डव (नगरी)

प्राप्त

पनाम

श्री गिरधारी श्री सुवालाल बाबाजी निवासी - बालानगर तहसील-गाण्डव (नगरी)
(संबंधित पालना)

दिनांक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06-06-24


::आदेश::

श्री ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निम्नलिखित किताब नं. **बालानगर** पटवार इल्का **भगवानपुरा** तहसील गाण्डव में उसके खाते / संयुक्त खाते की नं. **34633839, 46283842** कुल किता **04** रकबा **1.3025** हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि सीमा के मध्य **3842** नुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **28-3-24** को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे फाशत फाशत की होने से पत्थरगढी कराना है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्राप्त **बालानगर** पटवार **भगवानपुरा** तहसील गाण्डव में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. **34633839, 3843, 4628/3842** की **04** रकबा **1.3025** हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **भगवानपुरा** **00** रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कच्चा स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर नहीं की जावें।


उपस्थित अधिकारी
गांडव भिखाना सिवाड़ा

1- तहसीलदार गाण्डव को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपस्थित अधिकारी
गांडव भिखाना सिवाड़ा